न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

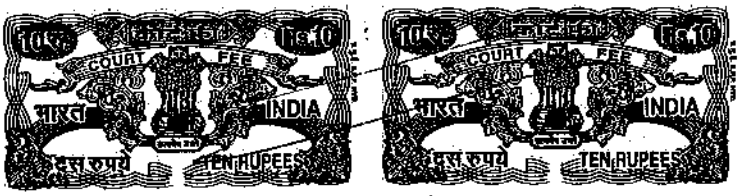

Rs. 20/-

517
1.9.14

R. 3368-III/14

1–सम्पत्ति कुमार तनय श्री सुखदेव राम उम्र 88 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम जोन्ही तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

2– राजभान तनय श्री छोटेलाल उम्र 62 वर्ष पेशा पेन्शनर व खेती निवासी ग्राम जोन्ही तह0 हुजूर जिलारीवा म0प्र0 हाल पता खितौला बस्ती वार्ड क्र0 12 तहसील सिहोरा जिला जबलपुर म0प्र0

3– रामसुफल तनय श्री छोटेलाल उम्र 60 वर्ष पेशा पेन्शनर व खेती निवासी ग्राम जोन्ही तह0 हुजूर जिलारीवा म0प्र0 हाल पता विजय नगर छपर तह0 जबलपुर जिला जबलपुर म0प्र0 ---- आवेदकगण / निगरानीकर्तागण

श्री ... द्वारा आज दिनांक 01.09.14 को प्रस्तुत किया गया।

क्रमांक 3066

रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा ... की प्राप्ति

दिनांक

क्लर्क ... कोर्ट

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1–सहलाराम तनय श्री सुखदेव राम उम्र 90 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम जोन्ही तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0

2– धनवन्ती देवी पत्नी श्री ठाकुर प्रसाद उम्र 75 वर्ष पेशा घरूकार्य व खेती निवासी ग्राम जोन्ही तह0 हुजूर जिलारीवा म0प्र0

3– अंगद प्रसाद तनय श्री ठाकुर प्रसाद उम्र 50 वर्ष

4– अशोक कुमार तनय श्री ठाकुर प्रसाद उम्र 45 वर्ष

5– रावेन्द्र कुमार तनय श्री ठाकुर प्रसाद उम्र 40 वर्ष

6– प्रवीण कुमार तनय श्री ठाकुर प्रसाद उम्र 30 वर्ष

पेशा खेती सभी निवासी जोन्ही तह0 हुजूर जिलारीवा म0प्र0

7– श्रीमती मीरा पुत्री स्व0 अमोल प्रसाद उम्र 31 वर्ष पत्नी श्री चन्द्रमणि प्रसाद त्रिपाठी निवासी ग्राम पिपरहा तह0 सिरमौर जिला रीवा म0प्र0 हाल मुकाम टी0डी0एस0 कालोनी जे0पी0. नगर नौबस्ता जिला रीवा म0प्र0

8–अनूप कुमार तनय स्व0 अमोल प्रसाद उम्र 27 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम जोन्ही तह0 हुजूर जिलारीवा म0प्र0

9– रजनीश कुमार तनय स्व0अमोल प्रसाद उम्र 24 वर्ष पेशा प्राइवेट नौकरी व खेती निवासी ग्राम जोन्ही तह0 हुजूर जिलारीवा म0प्र0

10– म0प्र0 राज्य द्वारा जिलाध्यक्ष रीवा जिला रीवा म0प्र0

---- अनावेदक गण / गैरनिगरानीकर्ता गण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3368/III/14 .... जिला रीवा

समयान्ति कुमार .... रामाराम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारो एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24.2.2016.	यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 5-7-14 पारित प्रकरण क्रमांक 320/निग0/06-07 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री रघुनाथ को सुना गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यो एवं आक्षेपित आदेश दिनांक 5-7-14 का परिशीलन किया गया। प्रकरण में मुख्य विवाद पुनर्विलोकन की अनुमति से संबंधित है। नायब तहसीलदार द्वारा प्र0 प्रकरण 13/अ-6/04-05 में पारित आदेश दिनांक 6-12-05 के पुनर्विलोकन की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी से चाही गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 5-2-07 से पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की गई। अनु0 अधि0 के इस आदेश दिनांक 5-2-07 के विरूद्ध यह निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक 320/निग0/06-07 में पारित आदेश दिनांक 5-7-14 से पुनर्विलोकन आवेदन विलम्ब से प्रस्तुत होने को आधार मानकर पुनर्विलोकन की अनुमति आदेश दिनांक 5-2-07 निरस्त किया गया। जिसके विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। मेरे द्वारा प्रकरण एवं आक्षेपित आदेश दिनांक 5-7-14 में अंकित तथ्यो का विश्लेषण किया गया तथा पाया गया कि अपर आयुक्त द्वारा निष्कर्ष में यह अंकित किया गया कि पुनर्विलोकन आवेदन दिनांक 6-12-05 के आदेश के विरूद्ध दिनांक 26-10-06 को प्रस्तुत हुआ जो लगभग 10 माह अर्थात 300 दिन बाद प्रस्तुत किया गया जो विलम्बित था तथा आपत्तिकर्ता की आपत्ति भी थी कि ठाकुर प्रसाद की मृत्यु हो गई है तथा शासकीय अभिलेख में इन्द्राजी हो गई है जिसके संबंध में तह0 द्वारा आदेश पारित किया गया था जिसे पुनर्विलोकित	

K-53368/11/14

स्थान तथा दिनांक	लखीमपुर कार्यवाही तथा आदेश (राजाराम)	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	करने की अनुमति दी गई थी। अंत में उनके द्वारा यह अंकित करते हुए कि अनु० अधि० द्वारा पुनर्विलोकन नियमों का पालन नहीं किया गया है इस आधार पर अनु० अधि० का पुनर्विलोकन आदेश दिनांक 5-2-07 को निरस्त कर दिया गया। अपर आयुक्त द्वारा यह स्पष्ट विवेचित नहीं किया कि अनु० अधि० द्वारा ऐसे कौन से पुनर्विलोकन नियमों का पालन नहीं किया गया जो आवश्यक थे जिनके कारण पक्षकारों के हित प्रभावित हुए हैं, जहां तक विलम्ब से आवेदन प्रस्तुत करने का कारण है तो इस संबंध में पीठासीन अधिकारी विचारण न्यायालय द्वारा तथा अनुविभागीय अधि० विचारोपरांत ही निर्णय लिया गया है जहां तक विलम्ब का प्रश्न है तो इससे ऐसे किसी नियम का उल्लंघन होना प्रमाणित नहीं है जिसके कारण पुनर्विलोकन की अनुमति निरस्त की जाना आवश्यक है। इसके साथ ही पुनर्विलोकन की अनुमति से किसी भी पक्ष के हित अनुचित रूप से प्रभावित होना सम्भावित नहीं है बल्कि प्रकरण का पुनर्विवेचन होकर गुण दोष पर प्रकरण में पूर्णतः स्पष्टता से पारित आदेश होने की सम्भावना बढ़ गयी है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 5-7-14 निरस्त किया जाता है तथा अनु० अधि० का आदेश दिनांक 5-2-07 स्थिर रखा जाता है तथा तह० को निर्देशित किया जाता है कि वे उभय पक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में पारदर्शिता के साथ स्पष्ट एवं विधि सम्मत बोलता हुआ आदेश पारित करें। उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा०दा० हो। (हस्ताक्षर) सदस्य	
M		